# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट पचाला

शिविर प्रभारी अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः 436/2016

दर्ज दिनांकः 26/02/2016

निर्णय दिनांक : 28/05/2018

नन्दलाल पुत्र रामचन्द जाति बैरवा, निवासीः कोकास की ढाणी तन ग्राम सहायपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

......प्रार्थी

बनाम

1. रामचन्द्र पुत्र हरला जाति बैरवा निवासीः कोकास की ढाणी तन ग्राम सहायपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
2. श्रीकिशन पुत्र रामचन्द्र जाति बैरवा निवासीः कोकास की ढाणी तन ग्राम सहायपुरा तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
3. निर्मल अग्रवाल पुत्र एम.आर अग्रवाल जाति महाजन निवासीः सी–95, वैशाली नगर, जयपुर।
4. नन्दलाल पुत्र भंवरलाल जाति दरोगा निवासीः पचाला, तहसील फागी, जिला जयपुर।
5. तेज सिंह पि.मु. मांगू सिंह जाति राजपूत निवासीः पचाला, तहसील फागी, जिला जयपुर।
6. तहसीलदार फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।
7. उप पंजीयक फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

........अप्रार्थीगण

अधिकारी

**प्रार्थना पत्र बाबत नक्शा ट्रेस किये जाने तरमीम व स्थाई निषेधाज्ञा**

Scanned by CamScanner

## —: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि खसरा नंबर 815/92 रकबा 6 बीघा का प्रार्थी, खसरा नंबर 810/92 रकबा 6 बीघा का अप्रार्थी संख्या 1, खसरा नंबर 811/92 रकबा 6 बीघा अप्रार्थी संख्या 2, खसरा नंबर 812/92 रकबा 4 बीघा, खसरा नंबर 816/92 रकबा 3 बीघा 08 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 08 बिस्वा का अप्रार्थी संख्या 3, खसरा नंबर 814/92 रकबा 3 बीघा का अप्रार्थी संख्या 4 एवं खसरा नंबर 813/92 रकबा 19 बीघा का अप्रार्थी संख्या 5 भूमि वाके ग्राम पचाला, तहसील फागी जिला जयपुर के प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है एवं मौके पर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संलग्न नजरी नक्शा एवं प्रस्तावित नक्शा वास्ते तरमीम रिपोर्ट पटवारी हल्का पचाला अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है एवं अपने आराजी को उपयोग, उपभोग में लेते आ रहे है। उक्त विवादग्रस्त आराजी का पूर्व में एक ही खसरा नंबर 92 था जिसका प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने विधिक रूप से तकासमा करवाकर उपरोक्तानुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के अलग अलग बट्टा नंबर डल गये है। उस समय प्रार्थी को अपनी मौके पर काबिज भूमि की डल गये है। उस समय प्रार्थी को अपनी मौके पर काबिज भूमि की तरमीम नहीं की गई थी तथा उस समय नक्शा ट्रेस में प्रार्थी की स्थाई तरमीम नहीं की गई थी इसलिये प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 तरमीम नहीं की गई थी इसलिये प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के तरमीम नहीं की गई थी इसलिये प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के नक्शा लट्टा में तरमीम अलहदा अलहदा नहीं हो सकी। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र के संलग्न नजरी नक्शे एवं पटवारी हल्का पचाला द्वारा प्रस्तावित नक्शा तरमीम अनुसार मौके पर काबिज काश्त है एवं इसी अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य राजस्व नक्शा लट्टा है एवं इसी अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य राजस्व नक्शा लट्टा है एवं इसी अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य राजस्व नक्शा लट्टा में तरमीम किया जाना कानूनन आवश्यक है जिससे पक्षकारान के मध्य सीमाओं को लेकर विवाद उत्पन्न नहीं हो सकें इसलिये प्रार्थना पत्र बाबत तरमीम पेश ...या है।

...ड अधिकारी
...गी (जयपुर)

Scanned by CamScanner

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी भूमि का प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शें एवं प्रस्तावित नक्शा वास्ते तरमीम रिपोर्ट पटवारी हल्का पचाला अनुसार राजस्व नक्शा लट्ठा में तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार फागी को जारी फरमाया जावे एवं अप्रार्थीगण को पाबंद फरमाया जावे कि प्रार्थी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार दखल अंदाजी न स्वयं करें, न किसी अन्य से करावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। दिनांक 16.06.2016 को अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से श्री दुर्गालाल एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ने राजीनामा पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 25.06.2016 को पैरोकार राज0 ने तहसीलदार फागी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 05.06.2017 को अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से श्री शिवनारायण देवन्दा एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 28.11.2017 को वकील अप्रार्थी संख्या 5 ने जवाब प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार फागी ने अपनी रिपोर्ट में यह तथ्य अंकित किये है कि वादी द्वारा विधिक रूप से तकासमा कराने पर मूल खसरा नंबर 92 में बट्टा नंबर होना बताया है तथा नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं होना लिखा है। अतः तकासमा के नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं होना लिखा है अतः तकासमा के वक्त तैयार किया गया, नक्शा ट्रेस की प्रति से तरमीम किया जाना चाहिये, मौके के अनुसार तरमीम के लिए सभी पक्षकारान की सहमति आवश्यक है।

प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ने राजीनामा में यह तथ्य अंकित किये है कि नक्शा लट्टा में मुताबिक प्रस्तावित नक्शा वास्ते तरमीम अनुसार तरमीम किये जाने में प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4 सहमत है।

पत्रावली कैम्प कोर्ट में प्रस्तुत हुई।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

Scanned by CamScanner

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, नक्शा ट्रेस, प्रस्तावित नक्शा ट्रेस, रिपोर्ट तहसीलदार फागी, राजीनामा प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 लगायत 4, जवाब अप्रार्थी संख्या 5 इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन तहसीलदार रिपोर्ट साबित पाया जाता है कि वादग्रस्त आराजीयात की वर्तमान नक्शा ट्रेस में तरमीम नहीं हो रखी है।

चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 ने राजीनामा एवं अप्रार्थी संख्या 5 ने प्रस्तावित नक्शा अनुसार 40 फीट का रास्ता कायम करते हुये, तरमीम किये जाने पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में अपनी पूर्ण सहमति प्रकट की है। न्यायहित में प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि खसरा नंबर 815/92 रकबा 6 बीघा, खसरा नंबर 810/92 रकबा 6 बीघा, खसरा नंबर 811/92 रकबा 6 बीघा, खसरा नंबर 812/92 रकबा 4 बीघा, खसरा नंबर 816/92 रकबा 3 बीघा 08 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 7 बीघा 08 बिस्वा, खसरा नंबर 814/92 रकबा 3 बीघा एवं खसरा नंबर 813/92 रकबा 19 बीघा ग्राम पचाला, तहसील फागी जिला जयपुर की तरमीम, प्रस्तावित नक्शा अनुसार 40 फीट रास्ता, अप्रार्थी संख्या 5 की भूमि राजस्व नक्शे में से कम करते हुये, नक्शा लट्टा में करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28/05/2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट पचाला में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)
फागी

Scanned by CamScanner